

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम रामफूल वगै०

किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-11 सन्-2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-11/2022 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 15.09.2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरुंद में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु०रास्ता खसरा न० 234रकबा 0.0025 है० पर गैरसायलान रामफूल, प्रभू पुत्रान रामकरण मीना जाति मीना निवासी उकरुंद द्वारा फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया परन्तु गैर सायलान ना तो न्यायालय में उपस्थिति हुआ और ना ही उसके द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.11 रूपये का 50 गुणा 6 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई०एल०आर०/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)</p> | |

रा० ल० सो 4 वर्ष 2022-23 की

रा० ल० 51 पर 6 रु.

कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार